परिवार पहचान पत्र नम्ना/MODEL FAMILY IDENTITY CARD

(पहचान- पत्र द्विभाषी हो तथा इसका आकार 9.5×5.5 सेमी हो)/ (Identity Card must be bilingual and of the size of 9.5x5.5 cm)

(i) सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए/For Retired Railway Official

| परिवार पहचान पत्र का अग्र भाग/Front side of FIC | |
|---|---|
| शारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड | Government of India सं./No Ministry of Railways Railway Board |
| सेवानिवृत | त रेलवे कर्मचारी का पहचान पत्र/ |
| RETIRED RAI | LWAY OFFICIAL'S IDENTITY CARD |
| नाम/ | `. |
| Name : | |
| सेवानिवृत्ति के | |
| समय पद/ | |
| Post held on | फोटो/ |
| Retirement : | Photo |
| आरय्आईडी/ | 11010 |
| RUID : | ļ . |
| आधार संख्या/ | |
| Aadhaar No. : | |
| जन्म तिथि/ | |
| Date of Birth : | कार्डधारक के हस्ताक्षार/ Sign. Of Card holder |
| | |
| जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम | |
| Signature & Designation o | f Issuing Officer |

परिवार पहचान पत्र का पिछला भाग/Back side of FIC निवास पता Res. Add. द्र्भाष संख्या Tel No.: ब्लड ग्रुप/Blood Group: परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यारा जो पीआरसीपी के लिए पात्रता रखते हैं/ Details of other family members eligible for PRCP. क्रम सं./ S.No. अमुदेश/Instructions

थह कार्ड सेवोत्तर मानार्थ पास(पीआरसीपी) पर यात्रा करते समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है. इस कार्ड और/या पीआरसीपी का दुरुपयोग करने पर सुविधा रद्ध या स्थायी रूप से वापस ले ली जाएगी. यह कार्ड अहस्तातंरणीय है. इस कार्ड के गुम होने की सूचना पुलिस और जारीकर्ता प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए. यदि किसी को यह पहचान पत्र मिले तो कृपया इसे जारी करने वाले

प्राधिकारी, रेल भवन, नई दिल्ली 110001 को लौटा दें.

This Card must be produced while travelling on Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) and is not valid for any other purpose. Misuse of this Card and/or PRCP will cause cancellation/permanent withdrawal of the facility. This Card is not transferable. Loss of this Card should be reported to the Police and Issuing Authority. If found, please return to the Issuing Authority, Rail Bhawan, New Delhi-110001.

(ii) सेवानिवृत्त कर्मियों के पति/पत्नी/ परिवार के पात्र सदस्य/सदस्यों के लिए (प्रत्येक पात्र सदस्य को अलग-अलग काई जारी किया जाए.)/
For Spouse/eligible family member(s) of retired official (individual Card to be issued to each eligible member)

परिवार पहचान पत्र का अग्र भाग/Front Side of FIC Government of India भारत सरकार Ministry of Railways रेल मंत्रालय Railway Board रेलवे बोर्ड सेवानिवृत्त रेलकर्मी का पारिवारिक पहचान पत्र/ RETIRED RAILWAY OFFICIAL'S FAMILY IDENTITY CARD काई धारक का नाम/ काईधारक Name of Card Holder की आधार संख्या/ Aadhaar No. फोटो/ जन्म तिथि/ Photo of Date of Birth Card holder सेवानिवृत्त रेलकर्मी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर/ Name, Designation on retirement & Signature of retired official : सेवानिवृत्त रेलकर्मी के साथ काई धारक का संबंध/ Relationship of card holder With retired official जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

परिवार पहचान पत्र का पिछला भाग/Back side of FIC

Signature & Designation of Issuing Authority

निवास पता

Res. Add.

दूरभाष संख्या

Tel No.:

ब्लंड ग्रुप/Blood Group:

अनुदेश/Instructions

यह कार्ड सेवोत्तर मानार्थ पास(पीआरसीपी) पर यात्रा करते समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है. इस कार्ड और/या पीआरसीपी का दुरुपयोग करने पर सुविधा रद्द या स्थायी रूप से वापस ले ली जाएगी. यह कार्ड अहस्तातंरणीय है. इस कार्ड के गुम होने की सूचना पुलिस और जारीकर्ता प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए. यदि किसी को यह पहचान पत्र मिले तो कृपया इसे जारी करने वाले प्राधिकारी, रेल अवन, नई दिल्ली 110001 को लौटा दें.

This Card must be produced while travelling on Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) and is not valid for any other purpose. Misuse of this Card and/or PRCP will cause cancellation/permanent withdrawal of the facility. This Card is not transferable. Loss of this Card should be reported to the Police and issuing Authority. If found, please return to the Issuing Authority, Rail Bhawan, New Delhi-110001.